सबलं मनः हृदय चं
Tilam Sangh

राजस्थान राज्य तिलहन उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड़,

द्वितीय तल, नेहरू सहकार भवन, भवानी सिंह रोड़, जयपुर
(फोन नं. 0141-2740487)
कार्यालय मेल आई डी tilamsangh01@gmail.com

निविदा प्रपत्र

निविदा सूचना संख्या

कार्य का नाम :— तिलम संघ मुख्यालय, जयपुर में संविदा सेवाओं एवं कम्प्यूटर ऑपरेटर की आपूर्ति
अनुमानित लागत : रू. 8,00,000/— निविदा प्रपत्र
धरोहर राशि : रू. 16,000/— प्राप्त करने की दिनांक : 18.06.2024 दोपहर 3.00 बजे तक
निविदा शुल्क : रू. 200/— खोलने की दिनांक : 18.06.2024 दोपहर 4.00 बजे
कार्य अवधि : 01 वर्ष तक प्राप्त करने का निविदा स्थल : तिलम संघ मुख्यालय, जयपुर

तिलम संघ मुख्यालय जयपुर में निम्न कार्य की आवश्यकता है:—

क्र.सं.	कार्य की प्रकृति	कार्य हेतु आवश्यक संविदा सेवाओं एवं कम्प्यूटर ऑपरेटर	अनुमानित संख्या
1	कम्प्यूटर संबंधी कार्य सेवा	कम्प्यूटर कार्य सेवा	03
2	वाहन चालन कार्य सेवा	वाहन चालन सेवा	01

भरे हुए निविदा प्रपत्र सील्ड लिफाफे में निर्धारित तिथि एवं समय तक निविदा पेटी में जमा कराना होगा। लिफाफे पर निविदादाता का नाम व पता तथा ''संविदा सेवाओं एवं कम्प्यूटर ऑपरेटर हेतु निविदा ''लिखना आवश्यक है। यदि किसी कारण वश निविदा प्राप्ति/खुलने की दिनांक को अवकाश रहता है तो अगले दिन निविदा प्राप्ति/खोलने की कार्यवाही की जावेगी। किसी भी निविदा को बिना कारण बताए निरस्त करने का अधिकार प्रबन्ध संचालक के पास सुरक्षित रहेगा। ई—मेल से भेजी हुई स्कैन कॉपी स्वीकार नहीं की जायेगी।

नोट : संविदा सेवाओं एवं कम्प्यूटर ऑपरेटर की सख्या में आवश्यकतानुसार कमी या वृद्धि की जा सकेगी।
संलग्न : निविदा की शर्ते।

संवेदक के पूर्ण हस्ताक्षर मय
मोहर तिथि एवं पूर्ण पता

निविदा की शर्ते

कार्य का नाम :– तिलम संघ मुख्यालय, जयपुर में संविदा सेवाओं एवं कम्प्यूटर ऑपरेटर की आपूर्ति

1. दैनिक मजदूरी पाने वाले किसी व्यक्ति को देय मजदूरी की न्यूनतम दरों की गणना जिस वर्ग का वह व्यक्ति है, उस वर्ग के लिये नियत मासिक मजदूरी की दर में 26 का भाग देकर की जायेगी।
2. इसमें किसी बात के अन्तर्विष्ट होते हुये भी यदि उपर्युक्त दरों के प्रभाव में आने की तारीख पर उक्त नियोजनों में से किसी व्यक्ति की मजदूरी उपरोक्त दरों से अधिक हो तो उसके द्वारा उक्त दिन को प्राप्त की गई वास्तविक मजदूरी उसके संबंध में नियत की गई मजदूरी की न्यूनतम दर होगी।
3. अनुसूची में निर्दिष्ट न्यूनतम मजदूरी की दरों में निर्वाह भत्ता, बुनियादी मूल्य और सुविधाओं के एवज में रोकड मूल्य, यदि कोई हो, सम्मिलित है।
4. उक्त नियोजनों में कार्यरत व्यक्ति के लिये नियत दरों में साप्ताहिक अवकाश का वेतन शामिल है।
5. (क) अकुशल (Uniskilled) कार्य वह है जिसमें ऐसे साधारण कार्य जिसमें कि कार्य संबंधी कुशलता/अनुभव की मामूली आवश्यकता है या नही है, सम्मिलित है।

   (ख) उच्च कुशल (Highly Skilled) कार्य से आशय है, ऐसा कोई भी कार्य, जिसमे सघन तकनीक या व्यवसायिक प्रशिक्षण या लम्बे वर्षों के व्यवहारिक (Practical) कार्य के अनुभव के आधार पर अर्जित कुछ खास कार्यो के सम्पादन में पूर्णता की की डिग्री और पूर्ण क्षमता की आवश्यकता होती है, सम्मिलित है।

क्र. सं.	सेवा	संख्या	कार्य निष्पादन हेतु लगाये जाने वाले कार्मिक हेतु आवश्यक कार्य अनुभव
1	कम्प्यूटर संचालन कार्य सेवा	03	**योग्यता:–** स्नातक **अनुभवः–** 1. ई–फाइलिंग/ई–राजकाज 2. एक्सेल/वर्ड/पावरपॉइन्ट आदि कार्य। 3. यूनिकोड/मंगल फोंट में टाईप कार्य। 4. किसी भी राजकीय विभाग/संस्था में कम्प्यूटर कार्य का तीन साल का अनुभव।
2	वाहन चालन कार्य सेवा	01	लाईट मोटर व्हीकल (LMV) का एक साल का वाहन चलाने का अनुभव।

6. **निविदा की विशेष शर्ते :–**
   A. राजस्थान सरकार वित्त (G&T) विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ.2(1)वित्त/एसपीएफसी/2017 जयपुर दिनांक **30.04.2018 संख्या 1/2018** मे बताये गये सभी निर्देशों एवम् RTPP Act 2012 व Rule 2013 व GF&AR की पूर्ण पालना संवेदक को करना आवश्यक है।
   B. सेवा प्रदात्ता एजेन्सी को इन्कम टैक्स देने के लिये पैन कार्ड की फोटो कॉपी देनी होगी।
   C. कुल भुगतान की देय राशि से टी.डी.एस. नियमानुसार काटा जावेगा।

7. बोलीदाता/संवेदक द्वारा विभिन्न पंजिकरण इत्यादि का विवरण निम्नानुसार प्रस्तुत किया जावेगा :–

इसके अतिरिक्त निविदा प्रपत्र, बोलीदाता/संवेदको को निविदा के साथ निम्न तालिका में विभिन्न पंजीकरण इत्यादि का विवरण मय संलग्नों की स्वप्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत करनी होगी।

क्र. सं.	विवरण	रजि.सं.	वर्ष	पंजीकरण दिनांक	संलग्न क्रमांक
1	राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970				
2	कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम,1952				
3	कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम,1948				
4	वस्तु एवं सेवा कर (GST)				
5	आय कर (पैन नम्बर)				
6	राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम 1958 या इण्डियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अर्न्तगत या इण्डियन कम्पनी एक्ट 1956 के अर्न्तगत				

8. सेवाओं के उपापन के लिये बोलीदाता/निविदादाता द्वारा दरें प्रपत्र (Format) **Annexure - A** में प्रस्तुत की जायेंगी :–

9. न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 (केन्द्रीय अधिनियम 11, वर्ष 1948 के वैधानिक प्रावधानों की अनुपालना का दायित्व सम्बन्धित संवेदक का होंगा)।

10. राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मुलन) अधिनियम, 1970, कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 एवं कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के अर्न्तगत नियमानुसार पंजीकृत संवेदक ही उक्त प्रकार की बोली में भाग लेने हेतु अर्हत होंगे। पंजिकरण प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि पूर्ण रूप से भरे हुए बोली दस्तावेज के साथ सम्बन्धित उपापन संस्था को प्रस्तुत की जायेगी।

11. वाहन चालन सेवा हेतु कार्य पर भेजे गये व्यक्ति के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस व न्यूनतम 01 वर्ष का अनुभव होना चाहिए।

12. सफल निविदादाता जिसकी दरें स्वीकृत की जावेगी, को कुल कार्य लागत की 5 प्रतिशत प्रतिभूति राशि जमा कराना आवश्यक होगा व 500/– रूपये के स्टाम्प पेपर पर समझौता पत्र प्रस्तुत करना होगा।

13. यह निविदा एक वर्ष तक के लिये आमंत्रित की गई है। कार्य संतोषजनक होने पर आपसी सहमति से इसे नियमानुसार बढ़ाया जा सकेगा।

14. सेवा प्रदात्ता द्वारा उपलब्ध करवाई गई सेवाओं के संतोषजनक नहीं पाये जाने पर सेवा 15 दिवस का नोटिस देकर अनुबन्ध समाप्त किया जा सकेगा।

15. संवेदक द्वारा सेवा प्रदान करने हेतु भेजे गये व्यक्ति का कार्य संतोषजनक नहीं होने पर, संवेदक को 01 दिवस में वैकल्पिक व्यवस्था करनी होगी।

16. श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर के अनुसार श्रमिकों को मजदूरी के भुगतान करने का दायित्व सम्बन्धित संवेदक का होगा।

17. संवेदक को राज्य/केन्द्र सरकार की नवीनतम दरों के अनुसार अपने समस्त श्रमिकों का नियमानुसार ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई. जमा कराना होगा जिसमें नियोजित श्रमिकों की मजदूरी राशि से कटौती और संवेदक का अंशदान शामिल होगा। संवेदक द्वारा अपने आगामी माह के बिल के साथ गत माह के पेटे श्रमिकों के ई.पी.एफ. और ई.एस.आई. के अंशदान की राशि नियमानुसार जमा कराये जाने की पुष्टि में सम्बन्धित चालान की प्रति प्रस्तुत किए जाने पर ही संवेदक को आगामी माह के बिल/बिलों का भुगतान किया जायेगा।

18. संवेदक को अग्रिम नहीं देय है। बिल मासिक आधार पर प्रस्तुत किये जाने होंगे।
19. राज्य मे लागू श्रम नियमों के अर्न्तगत अपने समस्त श्रमिकों का नियमानुसार ई.पी.एफ एवं ई.एस.आई की राशि जमा कराने का दायित्व संवेदक का होगा।
20. संवेदक द्वारा श्रमिकों को देय राशि पर वस्तु एवं सेवा कर (GST) की राशि अतिरिक्त रूप से देय होगी। सभी प्रकार के करों को जमा करवाने की जिम्मेदारी संवेदक की ही होगी। संवेदक द्वारा गत माह में जमा कराये गये वस्तु एवं सेवा कर (GST) के चालान की प्रति आगामी माह के बिल के साथ अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी। वस्तु एवं सेवा कर (GST) की राशि जमा कराने के प्रमाण स्वरूप चालान की प्रति प्रस्तुत नही किये जाने पर आगामी माह के बिल में वस्तु एवं सेवा कर (GST) का भुगतान नही किया जायेगा। उक्त स्थिति में वस्तु एवं सेवा कर (GST) के सम्बन्ध में उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रकार के दायित्वों के निर्वहन का उत्तरदायित्व संवेदक का होगा।
21. श्रम विधि के अर्न्तगत निर्धारित नियमों, उपनियमों, अधिसूचनाओं तथा केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गये दिशा निर्देशों की पालना करने का दायित्व संवेदक का ही होगा। श्रम विधि के अन्तर्गत निर्धारित नियमों, उपनियमों, अधिसूचनाओं, दिशा निर्देशों, आदि की पालना नही करने की स्थिति में उसके परिणामों/दायित्वों के लिये संवेदक स्वंय उतरदायी होगा।
22. यदि संवेदक एवं कार्य पर लगाये गये श्रमिकों के मध्य कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसकी प्रबन्धकीय जिम्मेदारी संवेदक की होगी। इसके लिये उपापन संस्था का सक्षम प्राधिकारी न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 एवं राजस्थान अनुबन्धित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970 का उचित प्रकार से तथा निष्ठापूर्वक पालन करने के लिए उत्तरदायी होगा।
23. नियोजित श्रमिकों को 240 दिवस पूर्ण कर लिये जाने पर औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1974 में विहित प्रावधानों के अनुसार श्रम नियोजित श्रमिकों को हटाने, कार्यमुक्त करने, नोटिस वेतन, छंटनी मुआवजा आदि देने का समस्त उत्तरदायित्व संवेदक का होगा।
24. यदि संवेदक द्वारा नियमानुसार निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान नही किए जाने की शिकायत उपापन संस्था को प्राप्त होती है तो उपापन संस्था इस संबंध में संवेदक को अयोग्य घोषित करने की कार्यवाही करेगी।
25. राजस्थान सरकार वित्त (G&T) विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ.2(1) वित्त/एसपीएफसी/2017 जयपुर दिनांक 30.04.2018 संख्या 1/2018 में में बताये गये सभी RTPP Act.2012 व rule 2013 GF&AR की पूर्ण पालना संवेदक को करना आवश्यक है।
26. संवेदक को इन्कम टैक्स देने प्रयोजन के पैन कार्ड की फोटो कॉपी देनी होगी।
27. कुल भुगतान की देय राशि मे से नियमानुसार आयकर टी.डी.एस. से काटा जायेगा।
28. निविदा में भाग लेने वाला संवेदक राज्य सरकार के किसी भी विभाग/संस्था द्वारा ब्लेक लिस्टेड नही होना चाहिए।
29. निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का पूर्ण अधिकार प्रबन्ध संचालक का होगा।
30. संवेदक द्वारा नियोजित श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान अनिवार्य रूप से उनके बैंक खाते में ही किया जायेगा। सम्बन्धित संवेदक द्वारा नियोजित श्रमिकों के बैंक खाते में जमा कराई गई राशि का विवरण सम्बन्धित उपापन संस्था को आगामी माह के मासिक बिल के साथ अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किया जायेगा। श्रमिकों के बैंक खातों में जमा कराई गई राशि के विवरण बाबत उपापन संस्था की संतुष्टि होने पर ही संवेदक को आगामी माह के बिल का भुगतान किया जायेगा।

31. कार्य सम्पादन अवधि के दौरान कार्य के संबंध/संदर्भ में किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति या मुआवजा देने/ई.एस. आई. करवाने/सामुहिक दुर्घटना बीमा कराने इत्यादि की जिम्मेदारी एवं दायित्व संवेदक का होगा, इसके लिए उपापन संस्था की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

32. समस्त विधिक कार्यवाही यदि आवश्यक हो तो यथास्थिति न्यायालय क्षेत्र जयपुर में पेश की जावेगी।

33. मैने/हमें उपरोक्त शर्तो का उचित पूर्ण रूप से अध्ययन कर लिया है। मुझे/हमें उपरोक्त सभी शर्ते स्वीकार है।

हस्ताक्षर संवेदक मय मोहर
नाम..
पता ....

फर्म का नामः–
मो नं.
ई–मेलः–

निविदादाता द्वारा वित्तीय प्रस्ताव भरा जाना है:—

Annexure - A

क्र. सं.	कार्य की प्रकृति	कार्य हेतु आवश्यक संविदा सेवाओं एवं कम्प्यूटर ऑपरेटर सेवा	अनुमानित संख्या	रजिस्ट्रार सहकारी समितियां के आदेश दिनांक 16.06.23 के अनुसरण में अधिकतम मासिक दरें (रू.)	सेवा प्रदाता द्वारा प्रस्तुत प्रति सेवा मासिक दर, सर्विस टैक्स अतिरिक्त (रू.)	EPF दर प्रतिशत अतिरिक्त (%)	ESI दर प्रतिशत अतिरिक्त (%)	सेवा प्रदाता का सर्विस चार्ज राशि (रू.) प्रति सेवा प्रतिमाह	कुल राशि (रू.)
1.	**2.**	**3.**	**4.**	**5.**	**6.**	**7.**	**8.**	**9.**	**10.**
1	कम्प्यूटर संबंधी कार्य सेवा	कम्प्यूटर कार्य सेवा	**03**	**22500/—**		**13.00 %**	**3.25 %**		
2	वाहन चालन कार्य सेवा	वाहन चालन सेवा	**01**	**18750/—**		**13.00 %**	**3.25 %**		

(उपर्युक्त तालिका में स्तम्भ संख्या 6, 9 एवं 10 में बोलीदाता द्वारा समुचित प्रविष्टियां अंकित की जावे)

दिनांक:—

हस्ताक्षर निविदादाता
फर्म का नाम
सील